राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर
(जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, जयपुर)

क्रमांक : प.1(क)(26)कार्मिक / आर.एम.एस. / डी.एल.बी / 25 / 11025 दिनांक : 14/08/25

आदेश

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 330 (क) (अधिनियम संख्या 18 वर्ष 2009) सपठित राजस्थान नगर पालिका (प्रशासनिक एवं तकनीकी) सेवा 1963 के नियम 26 (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु अभिशंषा किये जाने पर निम्नांकित अभ्यर्थियों को अधिशाषी अधिकारी–चतुर्थ के पद पर अस्थाई तौर पर नियुक्ति प्रदान की जाती है:–

अधिशाषी अधिकारी–चतुर्थ

Sr.No.	Merit No.	Roll No.	Name of Candidates	DOB	Category	Home District
1.	03	5359692	Shree Ram	06-06-01	BC	JODHPUR
2.	44	5360512	Devi Singh Rathore	10-05-97	GE	BARMER
3.	50	5398631	Gahlot Kumar Meena	20-07-84	ST	KARAULI
4.	82	5154786	Anita Kumari	04-03-94	BC	BHARATPUR

उक्त नव चयनित अभ्यर्थियों के चिकित्सकीय स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट एवं पुलिस सत्यापन (चरित्र सत्यापन) प्राप्त होने के पश्चात इनके पदस्थापन आदेश जारी किये जा सकेंगे। उक्त अभ्यर्थियों को निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर/नगरीय निकाय अथवा प्रशिक्षण संस्था में उपस्थित होने की तिथि से वित्त विभाग की अधिसूचना कमांक एफ.15 ( )/वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 (शिड्यूल चतुर्थ) के अनुसार अधिशाषी अधिकारी–चतुर्थ पद के लिए पे–बेण्ड–2, 9300–34800, लेवल–11 में ग्रेड़–पे 4200/– के अन्तर्गत राशि रूपये 26,500/– प्रतिमाह फिक्स वेतन देय होगा। परीवीक्षाकाल में फिक्स वेतन के अतिरिक्त अन्य कोई भत्तें आदि देय नहीं होंगे। दो वर्ष का परीवीक्षाकाल संतोषजनक सेवा सहित पूर्ण होने पर ही इन्हें राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार समस्त परिलाभ देय होंगे।

यह नियुक्ति निम्नांकित शर्तो के अध्ययीन रहेगी:–

01. यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई (Provisional) है तथा 01 माह के नोटिस पर समाप्त की जा सकती है।
02. अभ्यर्थी द्वारा आदेश जारी होने की तिथि से 21 दिवस की अवधि में समस्त मूल शैक्षणिक दस्तावेजों वं प्रमाण–पत्रों/विभागीय एन.ओ.सी. सहित उपस्थिति प्रस्तुत नहीं करने पर यह आदेश स्वत: निरस्त माने जावेंगे।
03. उपरोक्त नियुक्ति अधिशाषी अधिकारी–चतुर्थ की शैक्षणिक योग्यता (डिग्री) की जांच अध्यधीन रहेंगी। उक्त शैक्षणिक योग्यता में अपात्र पाये जाने पर नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।
04. उक्त नियुक्ति पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन एवं चिकित्सकीय शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण के अध्यधीन होगी। पुलिस–सत्यापन रिपोर्ट में नियुक्ति हेतु प्रतिकूल टिप्पणी पायें जाने पर अथवा/और चिकित्सकीय शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट

टिप्पणी पाये जाने पर अथवा/और चिकित्सकीय शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट में अनुपयुक्त/अयोग्य (Unfit) पाए जाने पर नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति आदेश बिना सूचना के निरस्त कर दिये जावेंगे।

05. इस आदेश के अधीन कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी को दहेज नहीं लेने/नहीं देने, विवाह व संतान संबंधी घोषणा एवं धूम्रपान/तम्बाकू का सेवन नहीं करने संबंधी शपथ–पत्र नोटरी से प्रमाणित करवाकर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

06. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार अध्याय–1 में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।

उक्त नियुक्ति मा. उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर DBCWP NO. 16096/2022 अशोक मेघवाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य प्रकरण में मा. उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

(जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर)
निदेशक

क्रमांक : प.1(क)(26)कार्मिक/आर.एम.एस./डी.एल.बी/25/11026-11091 दिनांक : 14/08/25

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

01. विशिष्ठ सहायक, मा0 मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
03. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
04. निदेशक, नियोजन कार्यालय, राज0 जयपुर।
05. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
06. संयुक्त निदेशक (सिस्टम एनालिस्ट), निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु।
07. सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री...।
09. सुरक्षित पत्रावली।

निदेशक